

(31)

To: TC, Kolkata
From: MOT, N Delhi

रजिस्ट्री नं० डी० एल० 33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1176
No. 1176

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 2005/कार्तिक 18, 1927
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2005/KARTIKA 18, 1927

सस्य मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

शुद्धिपत्र

CORRIGENDUM

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2005

New Delhi, the 9th November, 2005

का.आ. 1547(अ)।—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में पैरा 2 में प्रकाशित सस्य मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 28 अक्टूबर, 2005 की अधिसूचना में का. आ. 1547(अ) में उपखण्ड (3) के बाद "खण्ड-3 का" शब्द और अंक जोड़े जाए।

S.O. 1580(E).—In the Notification of Government of India in the Ministry of Textiles, No. S.O. 1547(E) dated the 28th October, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), in para 2, the words and figure "of clause 3" be inserted after sub-clause (3)

[का. सं. 5/13/2003-जुट]

[F No. 5/13/2003-Jute]

जैमिनी कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव

J. K. SHARMA, Jt. Secy.

Handwritten signature
14/11
SC (Text)